

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक:- 105/491(122/8)/20वीं पशुगणना,

दिनांक 20/08/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 20वीं पशुगणना कार्यक्रम के अन्तर्गत गणनाकारों/सुपरवाइजर्स को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि 20वीं पशुगणना कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी श्रेणी के गणनाकारों एवं सुपरवाइजर्स (सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति) को वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत आवंटित किये गये/किये जाने वाले बजट को व्यय करते समय निम्नलिखित निर्देशों का प्रत्येक दशा में पालन करना सुनिश्चित करें:-

- ❖ योजनान्तर्गत मानदेय का बजट जिस श्रेणी के गणनाकारों एवं सुपरवाइजर्स के लिए आवंटित किया गया है/किया जाता है उसी श्रेणी के गणनाकारों/सुपरवाइजर्स को देय होगा ।
- ❖ सभी श्रेणी के गणनाकारों /सुपरवाइजर्स के मानदेय की दर भारत सरकार के निर्देशानुसार निम्नवत होगी ।

गणनाकार

ग्रामीण क्षेत्र- ₹0 7.50 प्रति परिवार
शहरी क्षेत्र - ₹0 6.15 प्रति परिवार

सुपरवाइजर

ग्रामीण क्षेत्र- ₹0 1.25 प्रति परिवार
शहरी क्षेत्र - ₹0 1.025 प्रति परिवार

- ❖ गणनाकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में गणना किये गये प्रत्येक परिवार पर मानदेय देय होगा ।
 - ❖ भारत सरकार के निर्देशानुसार मानदेय उन्ही गणनाकारों एवं सुपरवाइजर्स को दिया जायेगा जिनके द्वारा 20वीं पशुगणना का समस्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।
 - ❖ भारत सरकार द्वारा गणनाकारों/सुपरवाइजर्स के मानदेय का ऑकलन किया गया है जो कि ईमेल द्वारा एक्शेल शीट में उपलब्ध कराया जा रहा है ।
 - ❖ बजट का शत प्रतिशत व्यय बजट आवंटन प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तदुपरान्त ही अवशेष बजट आवंटन किया जायेगा ।
- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(डा० यू०पी० सिंह)

निदेशक

प्रशासन एवं विकास

पत्रांक:- 105/491(122/8)/20वीं पशुगणना,

दिनांक

प्रतिलिपि- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक (ग्रेड-2), पशुपालन विभाग को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अधीनस्थ जनपदों से नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

(डा० यू०पी० सिंह)

निदेशक

प्रशासन एवं विकास